29/8/25 वादीगण तथा उनके वकील प्रत्यर्थीगण व प्रार्थीगण स्वयं अनुपस्थित रहे-रहे कर बार-बार आवाज लगवाई गई, किन्तु ना ही तो प्रार्थीगण व ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित आये अतः वाद पत्र समय पूर्व अग्रिम हाजरी में खारिज किया जाता है प्रत्यर्थी फैसला शुमार होकर नकल से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Jayendra